



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ० प्र०

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू० / कुस०का० / छात्रवृत्ति / 2024 / 3638 दिनांक: 05 अगस्त, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: उ०प्र० पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी०एम० यशस्वी योजनान्तर्गत स्कालरशिप प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक / फेशियल ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 शासन के फाइल संख्या 16-1099/79/2023 4/677358/2020 दिनांक 27 जून, 2024 के साथ संलग्न प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 1177 सोलह-प्रा०-शि०-1-2024 दिनांक 24.06.2024 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के पत्र संख्या 2564/64-2024 दिनांक 05.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से श्रीट्रान इण्डिया लि० द्वारा पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी०एम० यशस्वी योजनान्तर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक / फेशियल ऑथेंटिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त पत्र में द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 05.06.2024 में की गयी अपेक्षा के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

(डा० डी० पी० सिंह)

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र०, शासन।
3. विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उ०प्र०, शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।

(डा० डी० पी० सिंह)

उप कुलसचिव

आवश्यक

प्रेषक,
प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- कुलसचिव
ए0के0टी0यू0, लखनऊ/एच0बी0टी0यू0, कानपुर/
एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर।

2- निदेशक,
समस्त राजकीय अभियंत्रण संस्थान।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2024

विषय: उ0प्र0 पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत स्कालरशिप प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति आधार बेसड बायोमेट्रिक /फेशियल ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 24.06.2024 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतएव उपरोक्त प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित पत्र दिनांक 05.06.2024 में दिये गये निर्देशनुसार अपने-अपने संस्थानों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by

Prabakar Chandra Mishra

Date: 27-06-2024 09:45:54

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 को उनके पत्र दिनांक 24.06.2024 के क्रम में।
- 2- संयुक्त सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 को।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

संयुक्त सचिव।

DR(R) / DR(D)

कृपया लक्ष्मण मिश्र को

Reg.
27/6/24

(3541)

AR (R) (Est)

27/06/24

Manoj
28/06

162

संख्या 1177 सोमह-प्रा-शिक्ष-1-2024

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०यू०टी०, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24-06-2024

विषय- उ०प्र० पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी०एम० यशस्वी योजनान्तर्गत स्कालरशिप प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन अर्टेडेंस सिस्टम के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 264/64-2-2024 दिनांक 05.06.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Signer के शीर्ष,

Prabhakar Chandra Mishra

Date: 24-06-2024 09:55:49

संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तद्वै।

प्रतिलिपि मय संलग्नक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चंद्र मिश्र)

संयुक्त सचिव।

24/6/2024

4- समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-76/2023/2634/26-3-2023-सी.एन.-1574316, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023 के प्रस्तर-6 (xiv) में प्रावधान है कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्यय का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। तत्क्रम में निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा पत्रांक-सी-3115/स0क0/शिक्षा-31/4/159-2/2023-24, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में चरणबद्ध रूप से (दो चरणों में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में) समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था किये जाने हेतु श्रीटान इण्डिया लि0 को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों को कड़े निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

5- उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-997/सलर-3-2024, दिनांक 09 मई, 2024 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में नामांकित विद्यार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन कराये जाने हेतु समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, श्रीटान इण्डिया लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 के पत्र संख्या-डिग्री कम्प्यूटर/43/2024-25, दिनांक 24 अप्रैल, 2024 व पत्र संख्या-डिग्री कम्प्यूटर/49-50/2024-25, दिनांक 26 अप्रैल, 2024 द्वारा समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों से आधार ऑथेंटिकेशन सेवाओं पर इंटीग्रेशन चार्ज वन टाइम एवं SUB AUA Nos. Of monthly Transaction वहन किये जाने के सम्बन्ध में श्रीटान इण्डिया लि0 के नियम व शर्तों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

6- इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2974/78-2-2017-113आई0टी0/2017टीसी-1, दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के माध्यम से श्रीटान इण्डिया लि0 को सभी विभागों हेतु AUA (ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी) नामित किया गया है तथा यू0आई0डी0ए0आई0 भारत सरकार के पत्र संख्या-के0-11022/673/2017- यू0आई0डी0ए0आई0 (ऑथ-11) दिनांक 15.11.2017 द्वारा श्रीटान इण्डिया लि0 को AUA हेतु अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में आधार सम्बन्धित कार्य (Aadhar Seeding, Authentication, e-KYC, e-Sign) एवं उक्त कार्य हेतु सभी विभागों को SUB AUA (सब-ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी) बनाते हुये आधार से सम्बन्धित कार्य हेतु श्रीटान इण्डिया लि0 को अधिकृत किया गया है। इसके क्रम में नियोजन विभाग, जनशक्ति निपोजन प्रभाग के पत्र संख्या-04/7-294/ज0नि0प्र0/2017, दिनांक 14-12-2017 द्वारा समस्त विभागों को आधार सीडिंग, ऑथेंटिकेशन, ई-केवाईसी, ई-साइन हेतु श्रीटान इण्डिया लि0 से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पहले से ही विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत श्रीटान इण्डिया लि0 के अन्तर्गत यू0आई0डी0ए0आई0 अधिकृत SUB AUA है। अतः इस योजना में विभाग को SUB AUA बनाये जाने में किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

7- अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजना में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

- (i) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी0एम0 यशस्वी योजनान्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की नियमानुसार दैनिक उपस्थिति की गणना शासन के आई0टी0 एवं

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा अधिकृत संस्था श्रीटान इण्डिया लि० के द्वारा संचालित आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराया जाय।

- (ii) यह कार्य प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25) में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूह-1 में रखे गये पाठ्यक्रमों (शासकीय, गैर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं) हेतु आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम की व्यवस्था लागू की जायेगी। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले व्यय के वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।
- (iii) द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2025-26) में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति की गणना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम की व्यवस्था लागू की जायेगी। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले व्यय के वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।

8- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, उ०प्र० अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं पी०एम० यशस्वी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की दैनिक उपस्थिति श्रीटान इण्डिया लि० के माध्यम से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से संपादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। श्रीटान इण्डिया लि० को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों तथा अन्य सम्बन्धितों को भी यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल विभाग, आई०टी० एव इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, पशुधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, न्याय विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. प्रबन्ध निदेशक, श्रीटान इण्डिया लि० अपार्टमेंट बिल्डिंग गोमती नगर, लखनऊ।
5. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 'राज्य इकाई' योजना भवन लखनऊ।

आज्ञा से

(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव।